SHRI D. RAJA: Let the Minister respond. ...*(Interruptions)*...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI RAJEEV SHUKLA): Sir, the hon. Member has raised a very important issue. I have, in response to a question, already said that it would not be made mandatory. It is not mandatory. If any public sector is doing it wrongly, we will correct it.

Demand for early passing of the Amendment Bill pertaining to reservation for Scheduled Caste/Scheduled Tribes

श्री रामविलास पासवान (बिहार): उपसभापति जी, अभी जो शैडयूल्ड कास्ट/शैडयूल्ड ट्राइब्स/ओ.बी.सी. का रिज़र्वेशन है, यह गवर्नमेन्ट ऑर्डर से चल रहा है। एस.सी./एस.टी. का जो फोरम है, उसमें सभी दलों के सदस्य शामिल हैं, उसमें पक्ष-विपक्ष के सदस्य शामिल हैं। हम लोग 8 साल से लगातार मांग कर रहे हैं कि इसके लिए ऐक्ट बनाया जाए। यहां राज्य सभा से बिल पास भी हो गया है, लेकिन उसमें क्लॉज़ 4 को नहीं जोड़ा गया है, हटा दिया गया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि प्रमोशन में जो सुपर स्पेशियलिटी है, उसमें रिज़र्वेशन खत्म कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी अपने जजमेंट में उसको खत्म कर दिया है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि इसको लेकर काफी हंगामा हो रहा है। कल भी हमारी एस.सी./एस.टी. पार्लियामेंट फोरम की बैठक हुई थी, जिसमें सभी सदस्य मौजूद थे। हमारी पहली मांग तो यह है कि शैडयूल्ड कास्ट/शैडयूल्ड ट्राइब्स के लिए जो रिज़र्वेशन पॉलिसी है, जो अभी गवर्नमेंट ऑर्डर से चल रही है, उसको तुरन्त ऐक्ट के रूप में परिणत किया जाए। इसके बाद उसको शैडयूल 9 में जोड़ा जाएगा और जब इसको शैडयूल 9 में जोड़ा जाएगा तो किसी को भी कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं होगा। दूसरा, हमारा यह कहना है कि प्रमोशन में रिज़र्वेशन वाला जो मामला है, वह भी इस सदन से पास हो गया है, लेकिन यह प्रमोशन में रिज़र्वेशन वाला मामला दूसरे हाउस में लटका हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार उसे पास कराए। स्पेशियेलिटी और सुपर स्पेशियलिटी का जो मामला है, जिस पर कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उसको लेकर सभी पक्ष के लोग लड़ रहे हैं। हमें इस बात का दुख है कि पिछले चार साल में जो बैकलॉग है, उस बैकलॉग को भरने की दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिसके कारण जो शैडयूल्ड कास्ट/शैडयूल्ड ट्राइब्स/ओ.बी.सी. के लोग हैं, उनका बैकलॉक बढ़ता जा रहा है। हम सरकार से दो मांगे करते हैं। हमारी पहली मांग है कि शैडयूल्ड कास्ट/शैडयूल्ड ट्राइब्स का जो रिज़र्वेशन का ऐक्ट है, उसको जल्द से जल्द पारित करें और 9 वें शैडयूल में डालें, हमारी दूसरी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट के खिलाफ

[श्री रामविलास पासवान]

सरकार रिव्यू पिटीशन दायर करे। यदि सरकार रिव्यू पिटीशन दायर नहीं करती है, तो उसके लिए संविधान में संशोधन लाए। एक तरफ तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि निजी क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, ज्यूडिशियरी में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ यह स्थिति है। अभी जो हमारे वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने कहा कि जो वीकर सैक्शन के लोग हैं, शैडयूल्ड कास्ट/शैडयूल्ड ट्राइब्स वर्ग के लोग हैं, माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, उनका रिप्रेजेन्टेशन ज्यूडिशियरी में कम है और उनको कैसे उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: टाइम ओवर। आपका समय खत्म हो गया है।

SHRI D. RAJA : Sir, I associates myself with this issue.

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार): उपसभापति जी, यह जो रिज़र्वेशन का मामला है, यह सिर्फ शैडयूल्ड कास्ट/शैडयूल्ड ट्राइब्स का मामला नहीं है, बल्कि ओ.बी.सी. का भी मामला है। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, all those who are associating, their names may be added. All the names ...*(Interruptions)*... There is almost unanimity in the House. Now. Dr. Prabha Thakur. ...*(Interruptions)*... All names should be added. ...*(Interruptions)*...

श्री अली अनवर अंसारी: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not going on record. ...*(Interruptions)*... It is not going on record. I have called Dr. Prabha Thakur. ...*(Interruptions)*... On every subject you are standing up and shouting. ...*(Interruptions)*... On every subject you are doing it. Don't do like this. ...*(Interruptions)*... You are a senior Member, Ansariji. ...*(Interruptions)*...

श्री रामविलास पासवान: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not going on record. There is no use in saying it. It is not going on record. ...*(Interruptions)*... हां, सरकार को कुछ करना चाहिए...

डा. प्रभा ठाकुर (राजस्थान): उपसभापति जी, मैं स्वयं को इसमें संबद्ध करती हूं।

* Not recorded.

श्रीमती वानसुक साइम (मेघालय): उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करती हूं।

डा0 विजयलक्ष्मी साधौ (मध्य प्रदेश): उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करती हूं।

श्रीमती रजनी पाटिल (महाराष्ट्र): उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करती हूं।

श्री आनंद भास्कर रापोलू (आन्ध्र प्रदेश): उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करता हूं।

श्री संजीव कुमार (झारखंड): उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करती हूं।

डा. प्रदीप कुमार बालमुचू (झारखंड): उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करता हूं।

श्री राम कृपाल यादव (बिहार): उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करता हूं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ल): सर, इस मामले में ऑलरेडी कानून मंत्री ने लोक सभा में खुद आश्वासन दे दिया है कि सरकार इसके रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा रही है और अगर वहां से कुछ नहीं होता, तो हम संसद में इसके लिए कानून बनाएंगे। ऐसा उन्होंने खुद वहां कहा है।

श्री उपसभापति: डा. प्रभा ठाकुर। ...(व्यवधान)... रामविलास जी, आपका समय समाप्त हो गया। आप बैठिए। डा. प्रभा ठाकुर। **...(व्यवधान)...** रामविलास जी, आप बैठिए, आपका समय समाप्त हो गया। आपको एश्योरेंस मिल गया, आपको और क्या चाहिए?

Alleged rape of a girl by a saint

डा. प्रभा ठाकुर (राजस्थान): उपसभापति महोदय, चाहे स्मृति ईरानी जी बोलें, चाहे इधर से हमारी बहन बोलें, कोई भी बोले, लेकिन जहां भी रेप का मामला होता है या किसी भी महिला के प्रति यौन शोषण का मामला होता है, वह चाहे मुम्बई में हो, मध्य प्रदेश में हो, दिल्ली मे हो, राजस्थान में हो, कहीं भी हो, हम सबको उसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए। इनमें राजनैतिक भेदभाव नहीं होना चाहिए और इसमें पूरे सदन की एक ही आवाज होनी चाहिए, मैं यह उम्मीद करती हूं । हमें इसको कंडेम करना चाहिए और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ मैं पूरे सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए एक बहुत गम्भीर मसले की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं। जिस तरह से* का **...(व्यवधान)...** आप तो अंतर्यामी हैं, बिल्कुल समझ गए। देश* में एक संत के रूप में माने जाते

* Expunged as ordered by the Chair